

**TIME BOUND
REMINDER**



**CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD,
DELHI-110 032.**

No.C-24013/26/2018-Admn.(P)/

May 15th, 2018

CIRCULAR

Sub: Completion of APARs - Regarding.

This has reference to OM of even number dated 09.04.2017 forwarding APARs of all the employees and timely submission of APAR for the period 2017-18. As per time schedule, the date of submission of report by the Reporting officer to the respective Reviewing Officers is 30th June, 2018 and to the Administration(P) Division on or before 31.07.2018.

Further MFCS/MACP/DPC meeting is to be convened and APARs for the year 2017-18 are mandatory at the time of assessment. It is, therefore, requested to send the APARs duly completed at your end within 15 days of receipt of this O.M. so that MFCS/MACP/DPC meeting could be convened shortly.

**(Jugesh Kumar)
Sr. Administrative Officer**

To

1. **All Divisional Heads at HO & Incharges Regional Directorate /Project offices of CPCB.** : **With a request to circulate it amongst all the officers and staff working under Them.**
2. **Incharge, IT Division** : **To kindly upload it on CPCB website.**



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
दिल्ली - 110 032

सं.सी-24013/26/2018-प्रशा.(का.)

दिनांक: 15.05.2018

परिपत्र

विषय: वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APARs) भरे जाने के संबंध में।

यह वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए सभी कर्मचारियों को वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APARs) भेजे जाने और उसको समय पर जमा करने हेतु दिनांक 09.04.2018 के सम संख्यांक कार्यालय जापन के संदर्भ में है। समय अनुसूची के अनुसार, समीक्षा अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को रिपोर्ट जमा करने की तिथि 30 जून, 2018 है और प्रशासनिक (का.) प्रभाग के समक्ष दिनांक 31.07.2018 तक अथवा उससे पहले पहुँच जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, एमएफसीएस/एमएसीपी/डीपीसी बैठक आयोजित की जानी है और मूल्यांकन के समय वर्ष 2017-18 की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APARs) की उपलब्धता अनिवार्य है। इसलिए, इस कार्यालय जापन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपने द्वारा विधिवत रूप से पूर्ण किए गए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APARs) को भेजने का अनुरोध किया जाता है ताकि एमएफसीएस/एमएसीपी/डीपीसी बैठक शीघ्र आयोजित की जा सके।

(जुगेश कुमार)

वरि. प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि

1. प्रभारी, मुख्यालय के सभी प्रभाग एवं प्रभारी, क्षेत्रीय निदेशालय/ प्रोजेक्ट कार्यालय, केन्द्रीय बोर्ड : अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करने के अनुरोध सहित।
2. प्रभारी, आईटी प्रभाग : कृपया इसे केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।